एग्री मैगज़ीन
(कृषि लेखों के लिए अंतरराष्ट्रीय ई-पत्रिका)
वर्ष: 03, अंक: 03 (मार्च, 2026)
www.agrimagazine.in पर ऑनलाइन उपलब्ध
© एग्री मैगज़ीन, आई. एस. एस. एन.: 3048-8656

कस्टम हायरिंग सेंटर: एक परिचय

*डॉ. अजय सिंह लोधी[1], डॉ. मनीष पटेल[2] एवं डॉ. शैलेन्द्र भलावे[3]
[1]सहायक प्राध्यापक, कृषि महाविद्यालय, खुरई (सागर), भारत
[2]सहायक प्राध्यापक, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जबलपुर, भारत
[3]सहायक प्राध्यापक, कृषि महाविद्यालय, बालाघाट, भारत
*संवादी लेखक का ईमेल पता: ajay0312@gmail.com

भारतीय कृषि में मानव शक्ति और पशु शक्ति पर निर्भरता से यांत्रिक शक्ति की ओर धीरे–धीरे परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि पशुओं के पालन–पोषण की लागत में वृद्धि और मानव श्रम की बढ़ती कमी इसके प्रमुख कारण हैं। इसके अतिरिक्त, यांत्रिक शक्ति का उपयोग फसलों की उत्पादकता पर सीधा प्रभाव डालता है, साथ ही यह श्रमसाध्य कार्यों को कम करने और कृषि कार्यों को समय पर पूरा करने में भी सहायक होता है। इसलिए कृषि यंत्रीकरण को अपनाने की अत्यंत आवश्यकता है। हालांकि, विभिन्न राज्यों में कृषि शक्ति का वितरण काफी असमान है, जहाँ पंजाब में यांत्रिक शक्ति का उपयोग लगभग 3.5 किलोवाट/हेक्टेयर तक है, वहीं बिहार, ओडिशा, झारखंड जैसे राज्यों में यह 1 किलोवाट/हेक्टेयर से भी कम है। यांत्रिक शक्ति का उपयोग मुख्यतः बड़े भू–स्वामित्व वाले किसानों तक सीमित है और यह अभी भी छोटे एवं सीमांत किसानों की पहुँच से बाहर है, जो कुल जुताई योग्य भूमि का लगभग 80% हिस्सा हैं। इसका कारण यह है कि छोटे एवं सीमांत किसान अपनी आर्थिक स्थिति के कारण स्वयं या संस्थागत ऋण के माध्यम से कृषि यंत्रों का स्वामित्व प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए कृषि यंत्रों को छोटे एवं सीमांत किसानों की पहुँच में लाने के लिए सामूहिक स्वामित्व या कस्टम हायरिंग केंद्रों (Custom Hiring Centres) को बड़े स्तर पर बढ़ावा देना आवश्यक है। कस्टम हायरिंग सेंटर (Custom Hiring Centre) एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके माध्यम से किसानों को कृषि यंत्र एवं मशीनरी किराये पर उपलब्ध कराई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे एवं सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों तक सुलभ और किफायती पहुँच प्रदान करना है, ताकि वे भी उन्नत तकनीकों का उपयोग कर अपनी खेती की उत्पादकता बढ़ा सकें। भारत में अधिकांश किसान छोटे जोत वाले हैं, जिनके लिए महंगे कृषि यंत्रों को खरीदना संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में कस्टम हायरिंग सेंटर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहाँ ट्रैक्टर, हैरो, सीड ड्रिल, रीपर, थ्रेशर, रोटावेटर आदि मशीनें निर्धारित दरों पर किराये पर उपलब्ध कराई जाती हैं। इससे किसानों को समय पर कृषि कार्य करने में सहायता मिलती है और श्रम की कमी की समस्या भी कम होती है। कस्टम हायरिंग सेंटर न केवल कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देते हैं, बल्कि खेती की लागत को कम करने, उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि करने में भी सहायक होते हैं। इस प्रकार, यह आधुनिक कृषि के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उद्देश्य

- 1छोटे एवं सीमांत किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रध्उपकरण उपलब्ध कराना।
- व्यक्तिगत स्वामित्व की उच्च लागत के कारण उत्पन्न प्रतिकूल पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं (economies of scale) को कम करना।
- उन क्षेत्रों में यंत्रीकरण को बढ़ावा देना जहाँ कृषि शक्ति की उपलब्धता कम है।
- विभिन्न कृषि कार्यों के लिए प्रयुक्त कृषि यंत्रों/उपकरणों की किराये पर सेवाएँ प्रदान करना।
- फसल मौसम के दौरान विशेषकर छोटे एवं सीमांत जोतों में बड़े क्षेत्रों में यंत्रीकृत गतिविधियों का विस्तार करना।
- विभिन्न कार्यों के लिए उच्च मूल्य वाली फसल–विशिष्ट मशीनों की किराये पर सेवाएँ उपलब्ध कराना।

कस्टम हायरिंग सेंटर की संभावनाएँ

छोटे एवं सीमांत जोतों के लिए कृषि शक्ति की उपलब्धता सबसे कम है। चूँकि छोटे एवं सीमांत जोत कुल भूमि जोतों का लगभग 80% हिस्सा हैं, इसलिए ऐसे विस्तृत क्षेत्र की कृषि यंत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) की संभावनाएँ अत्यंत विशाल हैं। भारत सरकार ने इस संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कृषि शक्ति की उपलब्धता को वर्तमान स्तर (0.93 किलोवाट/हेक्टेयर) से बढ़ाकर 2 किलोवाट/हेक्टेयर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कृषि यंत्रीकरण पर उप–मिशन (Sub Mission on

Agricultural Machinery & SMAM) इसी उद्देश्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उद्यमियों एवं कृषि स्नातकों को कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सब्सिडी योजनाएँ भी लागू की जा रही हैं। अतः कृषि यंत्रीकरण पर दिए जा रहे जोर तथा छोटे एवं सीमांत किसानों तक कृषि यंत्रों की पहुँच सुनिश्चित करने की आवश्यकता को देखते हुए, कस्टम हायरिंग सेंटरों के लिए संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना आवश्यक है।

कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) के लिए स्थान का चयनः आदर्श रूप से, कस्टम हायरिंग सेंटर ऐसे स्थान पर स्थापित होना चाहिए जहाँ 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में अधिकतर छोटे भूमि जोत स्थित हों। इससे कृषि यंत्रों के परिवहन की लागत एवं समय दोनों में कमी आएगी। दूसरे शब्दों में, एक CHC से लगभग 4–5 गाँवों की आवश्यकताओं की पूर्ति की अपेक्षा की जाती है, इसलिए ऐसे स्थान का चयन उचित होगा जो इन गाँवों से समान दूरी पर स्थित हो।

संभावित उधारकर्ता (Borrowers): यद्यपि प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ, बहुउद्देशीय समितियाँ, विपणन समितियाँ आदि तथा विभिन्न विभागों के पास कस्टम हायरिंग हेतु मशीनरी उपलब्ध है, फिर भी एक बड़ा क्षेत्र अभी भी इससे अछूता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनौपचारिक किराया प्रणाली भी प्रचलित है, लेकिन उसमें समय पर उपलब्धता सुनिश्चित नहीं होती। इसलिए प्रगतिशील किसान, ग्रामीण बेरोजगार युवा, कृषि स्नातक आदि व्यक्तियों तथा ग्राम स्तरीय संस्थाओं जैसे जल उपयोगकर्ता संघ, वाटरशेड समिति, स्वयं सहायता समूह (SHG) महासंघ आदि को CHC स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

CHC इकाईः कस्टम हायरिंग सेंटर मूलतः एक ऐसी इकाई है जिसमें कृषि यंत्र, उपकरण एवं मशीनों का एक समूह होता है, जिन्हें किसानों को किराये पर उपलब्ध कराया जाता है। यद्यपि कुछ उपकरण फसल–विशिष्ट होते हैं, लेकिन ट्रैक्शन यूनिट जैसे ट्रैक्टर, पावर टिलर आदि तथा स्वचालित मशीनें जैसे कंबाइन हार्वेस्टर आदि सामान्य रूप से सभी में उपयोग होती हैं। इसलिए इस परियोजना में प्रस्तावित आदर्श मॉडल में ऐसे कृषि यंत्र शामिल किए गए हैं जो सभी फसलों के लिए जुताई कार्यों में उपयोगी हों, बहु–फसली उपकरण हों तथा न्यूनतम फसल–विशिष्ट मशीनरी शामिल हो।

नियम एवं शर्तें (मध्यप्रदेश राज्य के अनुसार)

1. योजनांतर्गत एक ग्राम तथा एक परिवार में केवल एक ही कस्टम हायरिंग केन्द्र दिये जाने का प्रावधान है अतः जिन ग्रामों में पूर्व में केन्द्र स्थापित हो चुके है वहां के लिये आवेदन प्रस्तुत न किये जाये। ग्रामों के संबंध में अंतिम निर्णय संबंधित कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालय द्वारा अभिलेखों के सत्यापन के समय लिया जायेगा। समूह का आवेदन उसके चयनित अध्यक्ष के माध्यम से ही भरा जावेगा ।
2. जिले हेतु उपयुक्त पाये गये ऑनलाईन आवेदनों की श्रेणीवार (सामान्य, अनु. जाति तथा अनु. जनजाति) प्राथमिकता सूचियों का निर्धारण कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा। इस प्रकार निर्धारित प्राथमिकता सूचियों अनुसार ही आवेदकों को जिले के लक्ष्य अनुसार केन्द्र स्थापित करने के विचार क्षेत्र में लिया जायेगा ।
3. अभिलेखों का सत्यापन आवेदक द्वारा आवेदित जिले से संबंधित कृषि यंत्री कार्यालय में निर्धारित दिनांक को किया जायेगा। उक्त दिनांक को केवल लक्ष्य अंतर्गत आने वाले हितग्राहियों के अभिलेखों का ही सत्यापन किया जायेगा। अन्य आवेदकों को भविष्य में सूचना देकर बुलाया जावेगा। सत्यापन के दौरान आवेदक को ऑनलाईन आवेदन के समय अपलोड किये गये मूल बैंक ड्राफ्ट को कार्यालय में जमा कराया जाना होगा। अभिलेखों के सत्यापन हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये मूल अभिलेख जैसे फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल अंकसूची, जाति प्रमाण–पत्र (केवल अनु. जाति एवं ज.जाति के आवेदकों हेतु), निवास प्रमाण–पत्र (मतदाता परिचय पत्र अथवा आधार कार्ड) अथवा ऋण पुस्तिका सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये जाने होंगें। एफ.पी.ओ./एस.आर.एल.एम. के कृषक समूह को अपने पंजीयन प्रमाण पत्र, कार्यकारिणी/गवर्निंग बॉडी का विवरण, अध्यक्ष का आधार कार्ड व अन्य विवरण प्रस्तुत करना होगा। अभिलेख परीक्षण न कराने अथवा मूल बैंक ड्रॉफ्ट जमा न कराये जाने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा ।
4. योजना के अंतर्गत उपयुक्त पाये गये आवेदकों की धरोहर राशि केन्द्र स्थापित होने पर भौतिक सत्यापन उपरांत लौटाई जा सकेगी, किंतु यदि आवेदक केन्द्र स्थापित करने में रूचि नहीं लेता है अथवा केन्द्र स्थापित कराने में असफल होता है, तो धरोहर राशि शासन द्वारा राजसात कर ली जायेगी ।
5. संभाग में लॉटरी से चयनित आवेदकों को कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री के संभागीय मुख्यालय पर प्रोजेक्ट निर्धारण संबंधी एक दिवसीय मार्गदर्शी शिविर का आयोजन किया जायेगा।
6. लॉटरी से चयनित आवेदकों को सी.ए. के माध्यम से बनाए गए अपने प्रोजेक्ट संबंधित कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालय में मार्गदर्शी शिविर के आगामी 10 दिवस में प्रस्तुत किये जाने होंगे। जिले हेतु निर्धारित लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुये कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रोजेक्टों को परीक्षण उपरान्त भारत सरकार के एग्रीकल्चर इफास्ट्रक्चर फंड अंतर्गत आवेदन कराया जायेगा। एग्रीकल्चर इफास्ट्रक्चर फंड योजनान्तर्गत हितग्राही को 3 प्रतिशत का ब्याज अनुदान भी प्राप्त होता है तथा भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट की कोलेटरल गारंटी भी दी जाती है। यह दोनों सहायता कस्टम हायरिंग योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले 40 प्रतिशत अनुदान के अतिरिक्त होती है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर संबंधित बैंक अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी। यदि भारत सरकार द्वारा एग्रीकल्चर इफास्ट्रक्चर फंड अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त नही होती है तो ऐसे आवेदकों को केवल कस्टम हायरिंग का 40 प्रतिशत का अनुदान ही प्राप्त होगा । आवेदकों के प्रकरण कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा सीधे संबंधित बैंक को अग्रेषित किये जायेंगे। आवेदकों को बैंकों से ऋण स्वीकृति एवं मार्जिन मनी जमा होने की सूचना कार्यालय द्वारा प्रोजेक्ट भेजने/भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने की तिथि के एक माह के अन्दर कृषि यंत्री/ कार्यपालन यंत्री कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगी। निर्धारित समयावधि में प्रकरण की स्वीकृति की सूचना बैंक से प्राप्त न होने की स्थिति में प्रकरण निरस्त किया जा सकेगा। बैंक में मार्जिन मनी जमा होने के उपरान्त हितग्राही को शासकीय व्यय पर प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। प्रशिक्षण में एक बार चयन होने के उपरान्त आवेदक को अनिवार्य

रूप से प्रशिक्षण केन्द्र पर उपस्थित होना होगा, उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य के लिये पृथक से कोई व्यवस्था नहीं की जायेगी।

7. प्रशिक्षण उपरान्त आवेदकों द्वारा केन्द्र की स्थापना किये जाने पर भौतिक सत्यापन की कार्यवाही संपादित की जायेगी तथा सत्यापन में उपयुक्त पाये गये प्रकरणों में बैंक को क्रेडिट लिंक्ड बैंक एन्डेड सबसिडी (Credit Linked Back Ended Subsidy) के रूप में शासन अनुदान का भुगतान किया जायेगा।

पात्रता एवं शर्ते (मध्यप्रदेश राज्य के अनुसार)

1. योजनांतर्गत हितग्राही को स्वयं के गांव में कृषि कार्यों हेतु कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने हेतु अनुदान दिया जाना है। कस्टम हायरिंग केन्द्र के माध्यम से हितग्राही द्वारा कृषकों को कृषि कार्यों हेतु किराये पर मशीनें एवं यंत्र उपलब्ध कराकर सेवायें दी जाना होगी।
2. प्रत्येक कस्टम हायरिंग केन्द्र हेतु आवश्यक ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्रों से संबंधित कृषि मशीनों के क्रय की लागत (अधिकतम राशि रू. 25.00 लाख) पर आवेदकों (सामान्य, अ.जा. एवं अ.ज.जा., एस. आर.एल.एम. के कृषक समूहों एवं एफ.पी.ओ.) को 40 प्रतिशत अधिकतम रू. 10 लाख तक का क्रेडिट लिंक्ड बैक एण्डेड (Credit Linked Back Ended) अनुदान दिया जायेगा। अनुदान की गणना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना अतंर्गत भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 01 दिसम्बर 2023 में उल्लेखित प्रत्येक यंत्र हेतु दिये गये प्रावधान अनुसार अधिकतम सीमा तक की जावेगी।
3. प्रत्येक जिले में दर्शायी सूची अनुसार कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित किये जाने का लक्ष्य है। अतः लक्ष्यों को कम करने अथवा बढ़ाने के अधिकार संचालक कृषि अभियांत्रिकी को होंगे।
4. कस्टम हायरिंग केन्द्र न्यूनतम रू. 10 लाख तथा अधिकतम रू. 25 लाख तक की लागत का स्थापित किया जा सकेगा।
5. बैंक ऋण के आधार पर केन्द्र स्थापित किया जाने पर ही अनुदान की पात्रता होगी।
6. अनुदान का भुगतान ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक को किया जायेगा जो हितग्राही द्वारा बैंक ऋण की पूर्ण अदायगी किये जाने के उपरान्त हितग्राही के खाते में समायोजित होगा।
7. योजनान्तर्गत आवेदकों को न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।
8. योजनांतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी के आवेदकों की उम्र दिनांक 01 अप्रैल 2024 को 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
9. पूर्व से ही शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय सेवाओं में कार्यरत् अथवा अन्य शासकीय योजना (भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (ए.आई.एफ.) योजना को छोड़कर) से रोजगार हेतु लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगें। जानकारी गलत पाये जाने पर संबंधित का प्रकरण निरस्त योग्य होगा।
10. भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई "एग्रीकल्चर इंफास्ट्रक्चर फंड" (ए.आई.एफ.) योजना को इस योजना के साथ जोड़ा जा सकता है। ए.आई.एफ. योजनान्तर्गत स्वीकृत प्रोजेक्ट को 3 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान तथा कोलेटरल हेतु सीजीटीएमएसई अंतर्गत भारत सरकार की गारंटी प्राप्त होती हैं। यह लाभ कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापना हेतु प्राप्त 40 प्रतिशत तक के अनुदान के अतिरिक्त होता है। कस्टम हायरिंग केन्द्र की योजनान्तर्गत प्राथमिकता सूची में आये आवेदकों को ए.आई.एफ. योजनान्तर्गत पृथक से आवेदन भारत सरकार के पोर्टल पर प्रस्तुत किये जाने होते है जिनमें पात्र पाये जाने पर ए.आई.एफ. के भी लाभ प्राप्त होते है।
11. एक ग्राम में एक ही कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित किया जायेगा। पूर्व के ग्राम जिसमें कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित किया जा चुका है, उन ग्रामों में पुनः केन्द्र स्वीकृत नहीं किया जायेगा। पूर्व के केन्द्रों व ग्रामों की जानकारी क्षेत्र से संबंधित कृषि यंत्री कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है।

    नोटः – अनुदान का रामायोजन (क्रेडिट लिंक्ड बैक एन्डेड सबसिडी से तात्पर्य यह है कि शासन द्वारा अनुदान बैंक को दिया जायेगा। हितग्राही द्वारा बैंक के ऋण को पूर्ण रूप से चुकाने के बाद हितग्राही के खाते में किया जावेगा। इस अनुदान राशि एवं मार्जिन मनी को कुल प्रोजेक्ट राशि से घटाने के उपरांत बची शेष राशि पर ही बैंक द्वारा ब्याज लिया जायेगा। हितग्राही द्वारा बैंक ऋण वापस न करने की स्थिति में (डिफाल्टर घोषित होने पर) अनुदान राशि उसे नहीं दी जायेगी तथा इस राशि को भी ऋण मानते हुये बैंकों द्वारा पूरी राशि की वसूली हितग्राही से की जायेगी।
12. एक परिवार / एक एफ.पी.ओ./ कृषक समूह को एक से अधिक कस्टम हायरिंग केन्द्र प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। अन्य योजनाओं अंतर्गत स्थापित कस्टम हायरिंग केन्द्रों को भी इस योजना अंतर्गत केन्द्र आवंटन के समय ध्यान में रखा जावेगा।
13. व्यक्तिगत आवेदक की स्थिति में जिस ग्राम में केन्द्र स्थापित किया जाना है आवेदक को उस ग्राम का मतदाता अथवा मूल निवासी होना अथवा उस ग्राम में स्वयं या माता पिता के नाम से भूमि होने पर ही संबंधित ग्राम में केन्द्र के आवेदन हेतु पात्रता होगी।
14. एफ. पी. ओ. मध्यप्रदेश में ही पंजीकृत होना विगत दो वर्षों से लाभप्रद एवं न्यूनतम 300 किसान सदस्य आवश्यक है। एस.आर.एल.एम. के कृषक समूह / एफ.पी.ओ. का आवेदन उनके पंजीयन प्रमाण–पत्र मे उल्लेखित जिले हेतु ही मान्य होगा।
15. आवेदक जिस जिले के अंतर्गत केन्द्र स्थापित करना चाहता है, उसी जिले से आवेदन करना अनिवार्य होगा।
16. आवेदक जिस जिले के अंतर्गत केन्द्र स्थापित करना चाहता है उसी जिले के किसी बैंक शाखा से ही अपना प्रकरण स्वीकृत कराना होगा। अन्य जिले में प्रकरण स्वीकृति हेतु नहीं भेजा जावेगा।

17. स्वीकृत बैंक ऋण में सबसिडी की राशि पर बैंक द्वारा हितग्राही से कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा। ऋण राशि अदा करने में असफल होने की स्थिति में हितग्राही को अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं होगा तथा बैंक की ऋण राशि, जिसमें अनुदान राशि एवं देय ब्याज सम्मिलित होगा, वापस चुकानी होगी।
18. स्वीकृत ऋण की वसूली अधिकतम 9 वर्ष में की जावेगी तथा ऋणस्थगन अवधि (Moratorium Period) अधिकतम 6 माह रहेगी।
19. स्वीकृत किये गये ऋण को 4 वर्ष की अवधि (Lock in Period) के पूर्व पूर्णरूप से लौटाया नही जा सकेगा। इस अवधि के पूर्व हितग्राही द्वारा बैंक ऋण पूर्ण रूप से चुकाने पर हितग्राही को अनुदान की पात्रता नहीं रहेगी। इस स्थिति में बैंक द्वारा अनुदान की राशि शासन को वापस की जाना होगी।
20. योजना के तहत कय की गई मशीनों/यंत्रों आदि को ऋण प्रदाय किये गये बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति/संस्था को हितग्राही द्वारा ऋण अवधि तक विकय/रेहन (Mortgage) अथवा हस्तांतरित नही किया जा सकेगा। इसका उल्लंघन किये जाने पर शासन नियमानुसार अनुदान राशिमय ब्याज के वापस करना होगी। राशि वापस न किये जाने की दशा में संपूर्ण राशि की वसूली भू–राजस्व वसूली की भांति की जा सकेगी।
21. हितग्राही को अनुदान राशि केवल मशीनों/यंत्रों को लागत के आधार पर देय होगी। मशीनों/यंत्रों के रख–रखाव, शेड निर्माण एवं आवश्यकता अनुसार भूमि आदि की व्यवस्था आवेदक/हितग्राही को स्वयं करनी होगी।
22. कस्टम हायरिंग केन्द्र द्वारा केवल कृषि संबंधित कार्य ही किये जा सकेंगे। वर्षाकाल आदि में जब कृषि कार्य नहीं होते हैं तब अकृषि कार्य भी किया जा सकेगा।
23. भारत सरकार द्वारा कृषको को ऑनलाईन कृषि यंत्र किराये से प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से "KRISHI MAPPER" app प्रारंभ किया गया है अनुदान प्राप्त सभी हितग्राहीयों को अपना पंजीयन भारत सरकार के "KRISHI MAPPER" app पर करवाना अनिवार्य होगा। "KRISHI MAPPER" app पर पंजीयन की पुष्टि के बाद ही अनुदान भुगतान किया जावेगा।
24. कस्टम हायरिंग केन्द्र अंतर्गत प्रदाय की गई मशीनों/उपकरणों/कृषि यंत्रों को सही हालत में आवेदक द्वारा रखा जाना होगा तथा किये गये कार्यो का विवरण कस्टम हायरिंग केन्द्र द्वारा एक पंजी में संधारित करके रखा जाना होगा।
25. पात्रता एवं शर्तों के बिन्दु क्रमांक– 7, 8 एवं 11 एस. आर. एल. एम. के कृषक समूह/एफ.पी.ओ. पर लागू नही होगें।

एक इकाई में रखी जाने वाली सामग्री निम्नानुसार होगी

श्रेणी (अ)– अनिवार्य रूप से रखे जाने वाले कृषि यंत्र : –

1. एक ट्रैक्टर
2. एक प्लाऊ अथवा पावर हैरों
3. एक रोटावेटर
4. एक कल्टीवेटर अथवा एक डिस्क हैरो
5. एक सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल अथवा अन्य ट्रेक्टर चलित दुबाई यंत्र
6. एक ट्रैक्टर चलित थ्रेशर अथवा स्ट्रॉ रीपर

नोट – (आवेदक केवल 01 ट्रैक्टर का क्रय कर सकता है)

श्रेणी (ब)– ऐच्छिक यंत्र: प्रोजेक्ट की लागत सीमा अंतर्गत यदि आवेदन चाहे तो स्थानीय तथा फसल की आवश्यकताओं को देखकर ऐच्छिक यंत्रो की सूची मे से यंत्रों का कय भी कर सकेगा।

ऐच्छिक रूप से रखे जाने वाले कृषि यंत्रो/मशीनों की सूचीः

1. हैप्पी सीडर, 2. सुपर सीडर, 3. रेज्ड बेड प्लान्टर, 4. जीरो टिलेज सीड ड्रिल, 5. गार्लिक प्लान्टर, 6.वेजीटेबल प्लान्टर, 7. पोटेटो प्लान्टर, 8. शुगरकेन कटर – प्लान्टर, 9. मल्टीकाप प्लान्टर, 10. ट्रैक्टर माउन्टेड रीपर, 11. कॉटन पीकर, 12. ट्रैक्टर माउन्टेड स्प्रेयर, 13. पावर स्प्रेयर, 14. ऐरो ब्लास्ट स्प्रेयर, 15. लेजर लेण्ड लेवलर, 16. स्ट्रारीपर, 17. सीड ग्रेडर, 18. पावरटिलर, 19. सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर, 20. रीपर कम बाइन्डर, 21. राईस ट्रांसप्लान्टर, 22. पावर वीडर, 23. पोटेटो डिगर, 24. मेज शेलर (पावर ऑपरेटेड), 25, एक्सियल फ्लो पेडी थ्रेशर, 26. स्ट्रॉ लोडर, 27. रोटरी प्लाउ, 28, डोजिंग अटैचमेंट, 29. क्लीनर कम ग्रेडर, 30. राईस मिल, 31, दाल मिल, 32. आईल एक्सटेक्टर, 33. मिलेट मिल, 34. ग्राइन्डर इत्यादि।

नोट – ऐच्छिक यंत्रों की सूची केवल उदाहरण स्वरूप है आवश्यकतानुसार अन्य यंत्र जो ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर प्रदर्शित है उनमें से चयनित किया जा सकता है।

प्रोजेक्ट अंतर्गत यंत्रों का कय संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी में पंजीकृत निर्माताओं के पोर्टल पर उनके पंजीकृत अधिकृत विक्रेताओं से किया जा सकेगा। कय किये जा रहे कृषि यंत्र ट्रेक्टर के साथ मेचिंग के होना चाहिये तथा उनको पोर्टल पर दर्शायी दर्रा (पोर्टल हेतु अधिकतम दरें GST सम्मिलित) से अधिक दर पर कप नहीं किया जा सकेगा ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल में पंजीकृत निर्माताओं की सूची तथा अन्य विवरण कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय की वेबसाईट www.dbt.mpdage.org पर उपलब्ध होगी।

निष्कर्ष (Conclusion)

कस्टम हायरिंग सेंटर (Custom Hiring Centre) कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रभावी एवं व्यावहारिक पहल है। यह विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रहा है, जो आर्थिक सीमाओं के कारण महंगे कृषि यंत्रों को खरीदने में सक्षम नहीं होते। इस व्यवस्था के माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र एवं मशीनरी उचित दरों पर उपलब्ध हो पाती है, जिससे वे समय पर कृषि कार्य कर पाते हैं, लागत में कमी

आती है तथा उत्पादकता में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त, कस्टम हायरिंग सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन का भी एक महत्वपूर्ण साधन बन रहे हैं तथा कृषि आधारित उद्यमिता को प्रोत्साहित कर रहे हैं। सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी एवं विभिन्न योजनाएं इस प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाती हैं।

अतः यह कहा जा सकता है कि कस्टम हायरिंग सेंटर न केवल कृषि यंत्रीकरण को सुलभ बनाते हैं, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने, कृषि लागत कम करने और समग्र कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भविष्य में इसके व्यापक विस्तार से कृषि क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।

सन्दर्भ

1. कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय की वेबसाईट पर प्रकाशित विज्ञापन https://chc.mpdage.org/Upload/Advertisement/CHC_Full_Ad_2025-26.pdf